लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, गढबोर

– रेस्पोण्डेंट

रम मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार पत्रावली संख्या 07/2018

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 21.03.2018	

अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, गढबोर से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, गढबोर को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लो0सू0 अधिकारी तहसीलदार, गढबोर द्वारा जरिये पत्रांकः–सू.अ. 05/2018/492 दिनांक 20.03.2018 से प्राप्त रिपोर्टानुसार प्रार्थी का आवेदन पत्र सूचना के अधिकार के तहत तहसीलदार, गढबोर नामजद भूराराम देवपाल के नाम का इस कार्यालय/अनुभाग को दिनांक 29.12.2017 को प्राप्त हुआ। उक्त आवेदप पत्र मे वर्णित वांछित सूचना पटवार हल्का साथिया मे आ रही है, गौमती चौराया से चारभुजा (गढबोर) मेघा हाइवे रोड पर एवं किनारे–किनारे कौनसी आराजी की भूमि आर रही है ? उक्त सूचना पटवार हल्का साथिया की होने से हल्का पटवारी साथिया को वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया। हल्का पटवारी साथिया के द्वारा आवेदन पत्र मे चाही उक्त सूचना इस कार्यालय मे दिनांक 11.01.2018 को प्रस्तुत की गइ। बिन्दु संख्या 02 सहायक कलक्टर महोदय, कुम्भलगढ द्वारा भेरूसिंह बनाम जयसिंह के मामले मे प्रार्थी द्वारा अंतरित स्थगन होना बताया और पुलिस थाना केलवाडा द्वारा पालना कराए जाने बाबत पत्र का हवाला देकर सूचना की, की गई कार्यवाही की सूचना चाही गई इस संबंध में कार्यालय के संबंधित कर्मचारी श्री उदयसिंह बल्ला कार्यालय सहायक से उक्त स्थगन पत्र बाबत सूचना चाहे जाने पर संबंधित कर्मचारी जांच कर अवगत कराया कि उक्त प्रकरण में स्थगन बाबत कोई पत्र पालना हेतु प्राप्त नहीं हुआ है। उपरोक्तानुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना हल्का पटवारी साथिया की रिपोर्ट दिनांक 11.01.2018 एवं श्री उदयसिंह बल्ला कार्यालय सहायक की रिपोर्ट दिनांक 11.01.2018 की रिपोर्ट के आधार पर कार्यालय के पत्र क्रमांक भूअ/लो.सू.अ. /2018/53 दिनांक 18.01.2018 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा सीधे ही आवेदक के पते पर भिजवाई जा चुकी है। अपीलांट को भिजवाई गई सूचना से अपीलार्थी संतुष्ठ नहीं हो तो वह सूचना प्राप्ति के किसी भी कार्य दिवस में पटवार हल्का साथिया एवं तहसील कार्यालय गढबोर मे उपस्थित होकर राजस्व रिकार्ड एवं कार्यालय रिकार्ड का अवलोकन कर अपनी संतुष्ठि कर सकता है। अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराने बाबत इस कार्यालय स्तर पर समय पर कार्यवाही की गई है। किसी भी प्रकार से विलम्ब नहीं किया गया है। अतः कृपया इसी स्तर पर कार्यवाही ड्रोप करना फरमावें।

अपीलांट स्वयं उपस्थित। अपीलांट द्वारा अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर आपत्ति की गयी कि अपीलांट द्वारा जो सूचना चाही गयी थी वो उपलब्ध नहीं करवायी गयी और न ही रिकार्ड का अवलोकन करवाया गया ।

अतः न्यायहित में प्रार्थी को सुने जाने के उपरान्त तहसीलदार, गढबोर को यह निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी अपीलांट के आर0टी0आई0 आवेदन से चाही गयी सूचना जो तहसील गढबोर के अभिलेख पर उपलब्ध हो वह प्रार्थी को अभिलेख का अवलोकन करा बाद अवलोकन चाही गयी सूचना प्रमाणितशुदा 15 दिवस में उपलब्ध करावें एवं एक प्रति इस प्राधिकरण को भी भिजवावें। साथ ही प्रार्थी अपीलांट को निर्देशित किया जाता है कि निर्णय प्राप्ति के सात दिवस में तहसील गढबोर मे व्यक्तिशः उपस्थित होकर अभिलेख का अवलोकन कर सूचना प्राप्त करें।

अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द